सेवा मे,

1. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) हरियाणा राज्य में।
2. सहायक शिक्षता सलाहकार/प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्बाला शहर, गुरूग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, भिवानी, भोडिया खेड़ा, कैथल, जीन्द, नारनौल, नूंह, पंचकुला, रिवाड़ी, कुरूक्षेत्र, झज्जर एट गुढा, पलवल, सिरसा, तथा यमुनानगर।

यादि कमांक:-T/NAPS/2016/APO,JAPO,AI Duty/ 467 दिनांक:- 23-12-2016

विषयः— शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत जिले में विभिन्न राजकीय संस्थानों में नियुक्त कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी / शिक्षुता अनुदेशक को शिक्षुता सम्बन्धी कार्य करने की जिम्मेदारी देने बारे।

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

राज्य में **Apprenticeship Act-1961** के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू करने के लिए प्रत्येक जिले का मुख्य राजकीय आई0टी0आई0 संस्थान के प्रधानाचार्य को सहायक शिक्षुता सलाहकार घोषित किया हुआ है। सहायक शिक्षुता सलाहकार के इस कार्य में उसके संस्थान में कार्यरत शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/शिक्षुता अनुदेशक सहयोग करते हैं परन्तु शेष राजकीय संस्थानों में कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/शिक्षुता अनुदेशक नियुक्त होने के बावजूद स्वतन्त्र तौर पर कार्य करते हैं तथा उनका शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत कार्यों में सहायक शिक्षुता सलाहकार को स्पष्ट योगदान/सहयोग नहीं है। इस कारण से विभाग में पर्याप्त संख्या में शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए पद स्वीकृत होने के बावजूद **Apprenticeship Act-1961** के तहत वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके मद्देनजर निर्देश दिए जाते हैं कि: –

1. सहायक शिक्षुता सलाहकार घोषित प्रधानाचार्य के संस्थान से अन्य संस्थानो में नियुक्त कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/शिक्षुता अनुदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू करने के लिए अपने जिले के सहायक शिक्षुता सलाहकार को सहयोग करेंगे। सहायक शिक्षुता सलाहकार अपने जिले में विभिन्न राजकीय संस्थानों में नियुक्त कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/शिक्षुता अनुदेशक को शिक्षुता सम्बन्धी कार्य करने में जिम्मेंदारी देगा। इस के लिए ये कर्मचारी अपने जिले के सहायक शिक्षुता सलाहकार को शिक्षुता सम्बन्धित कार्य हेतु अपने प्रधानाचार्य के माध्यम से रिपोर्ट करेंगें। जिले का सहायक शिक्षुता सलाहकार इन कर्मचारियों को उनके निकटतम क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों के सर्वे एवं रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण, शिक्षु लगवाने, रिर्पोटस, फालोअप आदि का कार्य एवं इनके लक्ष्य देगा व की गई प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा/मॉनिटरिंग करेगा।
2. जिस संस्थान में कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी का पद रिक्त है तो उस संस्थान के प्रधानाचार्य अपने प्रतिष्ठान के वरिष्ठ वर्ग अनुदेशक को, कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार देंगे।
3. सभी संस्थानों में कार्यरत शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी /कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमैंट अधिकारी/ शिक्षुता अनुदेशक की वार्षिक गोपनीय रिर्पोट में सम्बन्धित प्रधानाचार्य के साथ–साथ सम्बन्धित सहायक शिक्षुता सलाहकार तथा मुख्यालय पर उप शिक्षुता सलाहकार/संयुक्त शिक्षुता सलाहकार की टिप्पणी भी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे व इस बारे सभी सम्बधित कर्मचारियों/अधिकारियों को तुरंत नोट करवा दिया जाए।

संजीव शर्मा
23/12/2016
उप–शिक्षुता सलाहकार,
कृतेः राज्य शिक्षुता सलाहकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय,
हरियाणा, चण्डीगढ।

Continued....

पूर्व पृष्ठ से —

पृ० क०:— T/NAPS/2016/APO,JAPO,AI Duty/ 468-476 दिनांक:— 23.12.2016

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतू भेजी जाती है:—

1. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, अतिरिक्त निदेशक प्रशिक्षण, सहायक निदेशक (प्रशासन —1) सहायक निदेशक (प्रशासन —2) सहायक निदेशक (प्रशासन —3) सहायक निदेशक (प्रशासन —4) मुख्यालय पर।
2. अधीक्षक गोपनीय / ए०सी०आर० शाखा मुख्यालय पर।
3. नोडल अधिकारी वेबसाइट को इस पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतू।
4. PA to SAA/DIT

संजीव शर्मा
23/12/2016
उप—शिक्षुता सलाहकार,
कृते: राज्य शिक्षुता सलाहकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय,
हरियाणा, चण्डीगढ।